

2026/10

फर्द अहकाम

सुमन देवी वगै० बनाम ममता वगै०
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
मुकदमा नम्बर/2026 दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
जीसीएमएस संख्या: 2026/10

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.01.2026	<p>वादीयागण की ओर से यह वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री बजरंग लाल शर्मा व राजेश कुमार शर्मा के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतु दिनांक 03.02.2026 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	
3-2-26	<p>पत्रावली पेश। वादी वकील उष्ण प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतु दिनांक 24.3.26 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)</p>	
24/3/26	<p>पत्रावली पेश। वादी की ओर से कोई उपखण्ड नहीं। न्यायालय सभ से डैरन बाट-बाट इलाज लगावने के बाद भी वादी की ओर से कोई उपखण्ड नहीं आने के कारण वादी का वादपत्र अदम टाजरी एवं अदम टैकी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली कसल शुमाट हेतु रजिस्टर्ड डाक से इस हेतु बाट सप्लिय इफ्तदा है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	